# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम मोहनीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति कुमावत निवासी श्रवणपुरा वगैरह

**प्रा.पत्र नम्बर 244/2020** **GCMS No.2020/00367**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03.01.2022 | वकील अप्रार्थी श्री अशोकपुरी द्वारा अप्रार्थी मोहनी देवी पत्नी भंवरलाल जाति कुमावत श्रवणपुरा के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 226 में अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि में सह खातेदारान के मध्य आपसी बंटवारा नही हो रखा है, स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अप्रार्थी व सहखातेदारान बंटवारा नही करवा पा रहे है, माननीय न्यायालय का स्थगन प्रभावी होने से अप्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का अलग बंटवारा नही करवा सकी एवं अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि रूपान्तरण भी नही हो पा रहा है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व की गई धारा 212 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सके। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।<br><br>प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपन–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 06.10.2020 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फै[illegible] कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Babu Lal Jat<br>Date: 2022.02.01 12:58:52 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी (नागौर)<br><br>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) | |